87

10 PBR

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

माननाय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक– /2017 निगरानी
PBR/निगरानी/देवास/भू.रा./2017/4416

आज अभिभाषक श्री बी.एल. माथुर
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 09-10-2017
09.10.2017
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

श्रीमती कमलाबाई पति लीलाधर वाधवानी
मालिक/ पार्टनर मेसर्स बस्तीराम एण्ड कम्पनी,
निवासी 4 एम0जी0रोड़, देवास–निगरानीकर्ता–प्रार्थीया

विरुद्ध

मेहरदास मृत वारिसान –

1– **अमोलदास पिता महाराज मेहरादास**
निवासी अलखधाम फ्रीगंज उज्जैन

गेहीमल मृत वारिसान

2– चन्द्रप्रकाश पिता महेश
3– नर्मला पति महेश
4– अनिता पिता महेश, समस्त निवासीगण साईनाथ कालोनी, इन्दौर

रेवाचन्द मृत वारिसान –

5– अनिल पिता रेवाचन्द
6– सुनील पिता रेवाचन्द

अशोक पिता रेवाचन्द मृत वारिसान

7– कमलाबाई पति अशोक
8– गौरव पिता अशोक
9– योगिता पिता महेश,
समस्त निवासीगण 146– संतराम कालोनी, उज्जैन

परमानंद मृत वारिसान

10– राजकुमार पिता परमानन्द
11– अनिल कुमार पिता परमानन्द
12– शकुन्तला पिता परमानन्द
13– जयवंती पिता परमानन्द
14– राजकुमारी पिता परमान्द
15– रजनी पिता परमानन्द
16– अनीता पितापरमानन्द समस्त निवासीगण
120 संतराम कालोनी, उज्जैन –– प्रत्यर्थीगण

क्रम निगा

अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग, उज्जैन व्दारा प्रकरण क्रमांक–212/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 01/09/2017 से असन्तुष्ट होकर निगसनी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू– राजस्व संहिता।

माननीय महोदय,

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/देवास/भूरा/2017/4416

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-18	आवेदक अधिवक्ता श्री बी0एल0मावर, अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-09-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक पक्ष के भागीदारों के द्वारा अपने फर्म से हक त्याग कर नये भागीदारों के नाम नामान्तरण चाहा गया है । भागीदारी फर्म को विधिक व्यक्ति नहीं माना जाता है । भागीदारी फर्म में संपत्ति का स्वामित्व भागीदारों के पास होता है न कि फर्म के पास । अत: नये भागीदारों को संपत्ति का अन्तरण बिना पंजीकृत अंतरण पत्र के नहीं हो सकता । स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने मूल भागीदारों के वारिसानों के नाम सही नामान्तरण किया है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	